अध्याय - 10

कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

10.1 कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों का ऐतिहासिक विकास

10.1.1 भारत सरकार द्वारा कोकिंग कोयला खान, (आपातकालीन उपबंध) अध्यादेश दिनांक 16.10. 1971 को जारी किया गया था जिसके तहत टिस्को तथा इस्को की केप्टिव खानों को छोड़कर सभी कोकिंग कोयला खानों का प्रबंध सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। अधिगृहीत खानों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. की सहायक कंपनी के रूप में एक नई कंपनी भारत कोकिंग कोल लि. का गठन किया गया। इन खानों का बाद में दिनांक 1.5.1972 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद, दिनांक 31.1.1973 से सरकार द्वारा 711 कोयला खानों का प्रबंधन भी अपने अधीन ले लिया गया तथा इनका 1.5.1973 को राष्ट्रीयकरण किया गया और नान–कोकिंग कोयला खानों के प्रबंधन के लिए मई, 1973 में सरकार द्वारा कोयला खान प्राधिकरण लि. (सीएमएएल) नामक नई कंपनी स्थापित की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। सीएमएएल की स्थापना डिविजनल पैटर्न पर एकात्मक संरचना के रूप में की गई, जिसके अंतर्गत चार प्रभाग आते हैं अर्थात केंद्रीय प्रभाग, पूर्वी प्रभाग, पश्चिमी प्रभाग तथा सीएमपीडीआईएल। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों को सीएमएएल के केंद्रीय प्रभाग के अधीन लाया गया। सितंबर 1975 में कोल इंडिया लि. का गठन एक धारक कंपनी के रूप में किया गया जिसकी पांच सहायक कंपनियां थीं अर्थात भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) और सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल)।

10.1.2 सीसीएल और डब्ल्यूसीएल ग्रुप की खानों के लिए निर्धारित उत्पादन और निवेश में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए तथा इन कंपनियों के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए दैनिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा संचार की समस्याओं की दृष्टि से 28.11.1985 से दो और सहायक कंपनियों अर्थात नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का गठन किया गया।

10.1.3 ओडिशा के कोयला क्षेत्रों को 8वीं और 9वीं योजना अवधि में वृद्धि का केंद्र मानकर ओडिशा कोलफील्डों की संभावनाओं पर विचार करते हुए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.(एसईसीएल) का विभाजन करके एक नई कंपनी बनाई गई। नई कंपनी, महानदी कोलफील्ड्स लि. दिनांक 3 अप्रैल, 1992 को निगमित की गई, जिसका मुख्यालय संबलपुर (ओडिशा) में हैं जो ओडिशा में तलचर एवं ईब–वैली कोलफील्ड्स के प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से कोल इंडिया लि. के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

10.1.4 कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की धारक कंपनी के रूप में 8 सहायक कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं – भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लि. एमसीएल) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्युट लि. (सीएमपीडीआईएल)। सीएमपीडीआईएल, एक इंजीनियरी, डिजाइन और अन्वेषण कंपनी है, जिसकी स्थापना कोयले की संदर्श योजनाओं को तैयार करने, परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, देश में कोयले के भंडारों को सुनिश्चित करने के लिए अन्वेषण तथा ड्रिलिंग शुरू करने तथा वास्तविक खनन कार्य के लिए परियोजनाएं तैयार करने के संबंध में विस्तृत आंकड़े तैयार करने के लिए की गई है। कोल इंडिया लि. की अन्य 7 सहायक कंपनियां कोयला उत्पादक कंपनियां हैं। एमसीएल की 70 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत इक्विटी होल्डिंग के साथ दो सहायक कंपनियां नामतः महानदी, नेयवेली, हडालको (एमएनएच) शक्ति लिमिटेड तथा महानदी एमजेएसजे कोल लि.है। इसके अलावा, सीआईएल की मोजाम्बिक में एक विदेशी कंपनी कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल) है।

10.1.5 कोल इंडिया लि. तथा इसकी सभी सहायक कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित हैं तथा 90 प्रतिशत शेयर केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और 10 प्रतिशत शेयरों का दिनांक 04.11.2010 को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से विनिवेश कर दिया गया है। असम और उसके पड़ोसी क्षेत्रों की कोयला खानों का नियंत्रण नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स इकाई के अंतर्गत सीधे सीआईएल द्वारा किया जाता है।

10.2 कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां

10.2.1 निदेशक बोर्ड

कोल इंडिया लि. एक धारक कंपनी है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। उसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी निदेशक हैं अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (विपणन)। प्रत्येक सहायक कंपनी का अलग – अलग निदेशक मंडल है और इसके प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। इसके अलावा, सभी सात उत्पादक कंपनियों अर्थात बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एमसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल में चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (आयोजना और परियोजनाएं)

और निदेशक (तकनीकी) हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इस्टीच्यूट लि. के निदेशक मंडल में 4 कार्यकारी निदेशक हैं, जिनके पदनाम हैं – निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कोयला उत्पादन और उपयोग), निदेशक (आयोजना एवं डिजाइन) तथा निदेशक (अनुसंधान, विकास और टेक्नोलॉजी)। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों के बोर्डों में कई अंशकालिक अथवा नामित निदेशक हैं जिनकी नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद और इस संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है।

10.2.2 प्राधिकृत शेयर पूंजी

31.3.2014 को कोल इंडिया लि. की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 8,904.18 करोड़ थी। प्राधिकृत शेयर पूंजी का विभाजन निम्नानुसार है :

(₹ करोड में)

(i)	प्रत्येक ₹1000/– के 90,41,800 असंचयी 10 प्रतिशत विमोच्य अधिमानी शेयर	904.18
(ii)	प्रत्येक ₹ 10/– के 8,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	8000.00
	कुल	**8904.18**

सीपीएसई–ईटीएफ योजनाः–

भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के भाग के रूप में आर्थिक मामलों से सम्बद्ध मंत्रिमंडल समिति ने 2.05.2013 को सीपीएसई 'व्यापार विनिमय निधि' की स्थापना को अनुमोदित किया जिसमें सेबी एमएफ विनियमन, 1996 के अधीन सेबी के पास पंजीकृत म्यूचअल फण्ड की योजना के रूप में चालू की जाने वाली सीपीएसई के इक्विटी शेयर हैं।

सीसीईए ने ईटीएफ मार्ग के माध्यम से पिछले कुछ समय से चयनित सीपीएसई में 3 प्रतिशत तक शेयर होल्डिंग तक विनिवेश को अनुमोदित किया है। ईजीओएम द्वारा निर्णित अंतिम सीपीएसई ईटीएफ बास्केट में 10 सीपीएसई स्टाक शामिल होते हैं जिसमें कोल इंडिया लि. (सीआईएल) शामिल हैं। तद्नुसार, इस मंत्रालय ने सीपीएसई–ईटीएफ योजना के नियोजन द्वारा सीआईएल के 2,20,37,834 शेयरों का विनियोजन किया। अब भारत के राष्ट्रपति के पास सीआईएल के कुल 89.65 प्रतिशत शेयर हैं।

31.03.2014 को कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी

(क) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी इस प्रकार है :–

सहायक कंपनी	प्राधिकृत शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)
भारत कोकिंग कोल लि.	(इक्विटी ₹ 2500 करोड़ + अधिमानी ₹ 2600 करोड़)–5100.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(इक्विटी ₹800 करोड़)–800.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	(इक्विटी ₹1100 करोड़) –1100.00
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(इक्विटी ₹ 2500 करोड़ –(2500.00)
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	(इक्विटी ₹1000 करोड़ + अधिमानी ₹ 400 करोड़)–1400.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(इक्विटी ₹1000 करोड़ + लाभ ₹ 300 करोड़) –1300.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	(इक्विटी ₹ 295.82 करोड़ + लाभ ₹ 204.18 करोड़)–500.00
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्युट लि.	(इक्विटी ₹ 50 करोड़)–50.00

(ख) कोल इंडिया लि. की विदेशी सहायक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी

विदेशी सहायक कंपनी	प्राधिकृत शेयर पूंजी (मेटीकेयस/यूएसडी)
कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	25880 मेटीकेयस (लगभग 1000 यूएसडी) (25000 मेटीकेयस)

10.2.3 कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय)

10.2.3.1 कोल इंडिया लि. मुख्य रूप से जिन कामों के लिए उत्तरदायी है, वे हैं कारपोरेट उद्देश्य निर्धारित करना, दीर्घावधि योजना, संरक्षण, अनुसंधान और विकास, उत्पादन, बिक्री, वित्त, भर्ती, प्रशिक्षण, सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, मजदूरी, सभी प्रचालन मामलों से संबंधित सामग्री, भूमि का अधिग्रहण करना, कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, सुरक्षा मानकों का अनुरक्षण करना, औद्योगिक संबंध में सुधार करना आदि।

10.2.3.2 सहायक कंपनियां राज्य सरकारों आदि के साथ संपर्क साधने जैसे संबंधित कार्यों का निष्पादन करती हैं। उत्तर–पूर्वी राज्यों में कोयला खानों का विकास तथा दोहन और समस्त देश में फैले हुए कोयला विपणन नेटवर्क से संबंधित कार्य कोल इंडिया लि. के सीधे नियंत्रण में है।

10.2.4 कोल इंडिया लि. के संयुक्त उद्यम

(I) सीआईएल और एनटीपीसी के बीच संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 27 अप्रैल, 2010 से सीआईएल और एनटीपीसी के बीच सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी नामक एक नए संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया है। सीआईएल और एनटीपीसी के बीच यह एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी

10 करोड़ रू. और प्रदत्त पूंजी 5 लाख रू. है। सीआईएल एवं एनटीपीसी द्वारा 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डिंग पैटर्न 50:50 पर आधारित है जिसमें प्रत्येक के 25,000 शेयर हैं।

संयुक्त उद्यम का मुख्य उद्देश्य कोयला खनन और बिजली उत्पादन आदि कार्य करना है।

(II) एमसीएल का संयुक्त उद्यम

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लि. के इस समय दो संयुक्त उद्यम नामतः गोपाल प्रसाद ओसीपी (15.00 मि.ट. प्रतिवर्ष) और तालाबरिया ओसीपी (20.00 मि.ट.प्रतिवर्ष) हैं। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित संयुक्त उद्यम कंपनियां बनायी गई हैं:

दो संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नलिखित हैं :

(i) महानदी जिंदल श्याम (एमजेएसजे) कोल लि.

एमजेएसजे कोल इंडिया लि. को 13 अगस्त, 2008 को एमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। गोपाल प्रसाद ओसीपी के लिये एमजेएसजे कोल लि. बनाई गयी है जिसमें एमसीएल के 60 प्रतिशत शेयर, जेएसडब्ल्यू स्टील लि. तथा जेएसडब्ल्यू इनर्जी लि. प्रत्येक के 11 प्रतिशत शेयर तथा श्याम मेटालिक्स एंड इनर्जी लि. (पहले श्याम डीआरआई पावर लि. के नाम से जानी जाती थी) तथा जिंदल स्टेनलेस लि. प्रत्येक के 9 प्रतिशत शेयर हैं। 31.3.2014 को एमजेएसजे कोल लि. की प्रदत्त शेयर पूंजी 95. 10 करोड़ रू. थी।

(ii) महानदी, नेयवेली, हिडाल्को (एमएनएच) शक्ति लि.

एमएनएच शक्ति का 16.7.2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एमसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित और पंजीकरण किया गया था। तालाबरिया ओसीपी के लिए एमएनएच शक्ति लि. का गठन किया गया है जिसमें एमसीएल के 70 प्रतिशत शेयर, नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लि. के 15 प्रतिशत शेयर तथा हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज लि. के 15 प्रतिशत शेयर हैं। एमएनएच शक्ति लि.की 31.3.2014 को शेयर पूंजी 85.10 लाख रू. थी।

(iii) महानदी बेसिन पावर लि.

महानदी कोलफील्ड लि. द्वारा 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के साथ एसपीवी के रूप में 2 दिसम्बर, 2011 को अन्य कंपनी महानदी बेसिन पावर लि. का गठन किया गया है और एसपीवी की विद्युत उत्पादन क्षमता के नामितियों में रूप में 2.12.2011 को महानदी बेसिन पावर लि. को निगमित किया गया था जिसका पंजीकृत कार्यालय मानचेश्वर रेलवे कालोनी, चन्द्रशेखरपुर भुवनेश्वर–751017 है तथा इसे आरओसी द्वारा कार्य शुरू करने का प्रमाण–पत्र 6.2.2012 को जारी किया गया था।

यह कंपनी जिला सुन्दरगढ़ में प्रस्तावित 2x800 मे.वा. की क्षमता की सुपर संवेदनशील थर्मल विद्युत संयंत्र वाली विद्युत परियोजना

का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए एमसीएल की ओर से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। प्रस्तावित परियोजना सफल बोलीदाता, एमसीएल और एमपीबीएल के बीच शेयर खरीद तथा शेयर धारकों के बीच करार की शर्तों के अनुसार एसपीवी द्वारा संयुक्त उद्यम आधार पर निष्पादित की जाएगी। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार महानदी बेसिन पावर लि. की शेयर पूंजी 5 लाख रूपए थी।

उपर्युक्त के अलावा, महानदी कोलफील्ड्स लि. ओडिशा राज्य में अवसंरचना के साथ–साथ अतिरिक्त निधियों के बेहतर उपयोग के लिए ओडिशा राज्य में विद्युत पारेषण व्यवसाय के साहसिक कार्य में लगी। तदनुसार, 8 जनवरी, 2013 को नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कं. प्रा.लि. नामक एक अन्य संयुक्त उद्यम कंपनी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. के पास निगमित की गई थी। मैसर्स ओपीटीसीएल के साथ संयुक्त रूप से विद्युत पारेषण व्यवसाय कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उक्त कंपनी तथा ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. के बीच एक संयुक्त उद्यम करार की वजह से 50:50 के अनुपात में शेयर होल्डिग प्रणाली है।

(iv) इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड

कोल इंडिया लि. भी इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लि. (आईसीवीएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी आईसीवीएल की एक सदस्य है। को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 20 मई, 2009 को निगमित किया गया था। यह सेल, सीआईएल, आरआईएनएल, एनटीपीसी तथा एनएमडीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें उनकी इक्विटी होल्डिंग क्रमश 2:2:1:1:1 अनुपात में है। एनटीपीसी ने दिसम्बर, 2011 में आईसीवीएल से बाहर निकलने के विकल्प का निर्णय लिया है।

जहां तक सीआईएल का उपर्युक्त संयुक्त उद्यम कंपनी (आईसीवीएल) में बने रहने का संबंध है, सीआईएल बोर्ड ने मई, 2012 में आईसीवीएल से हटने का संकल्प लिया था। तथापि, कोयला मंत्रालय की सलाह पर यह मामला सीआईएल बोर्ड के पुनः विचार के अधीन है। कंपनी का उद्देश्य भारत तथा विदेशों में कोयला खानों अथवा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करके अथवा संपत्तियों की खरीद कर, लीज पर लेकर, लाईसेंस आदि प्राप्त कर कंपनी के व्यवसाय को कार्यान्वित करना है।

(v) बीईएमएल लि., सीआईएल तथा डीवीसी के साथ संयुक्त उद्यम

(मैसर्स एमएएमसी (खनन तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन) की परिसम्पतियों का अधिग्रहण तथा दुर्गापुर संयत्र में उपस्करों का उत्पादन आरंभ करने के लिए)

कन्सोर्टियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 2012 तक मैसर्स एमएएमसी के सभी प्रतिष्ठानों की परिसम्पतियों तथा संपतियों का कब्जा अधिकारिक परिसमापक से प्राप्त कर लिया था।

सीआईएल, डीवीसी तथा बीईएमएल लि. (भारत अर्थ मूवर्स लि.) के बीच शेयर धारक संबंधी करार सभी तीनों कंपनियों के बोर्डों के संकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मौजूदा

आवश्यकता के अनुसार रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (बीईएमएल का प्रशासनिक मंत्रालय) से इस समय अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

फिलहाल प्रबंधन के अंतरिम बोर्ड के निर्णय के अनुसार बैंक योग्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक समिति तैयार की जा रही है।''

10.2.6 कोयला क्षेत्र में वेतन

स्थापना के समय से ही कोयला उद्योग के गैर–कार्यपालक संवर्ग के कर्मचारियों के सीमांत लाभों सहित वेतन संरचना और अन्य सेवाशर्तों को भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा द्विपक्षीय वेतन बातचीत द्वारा निपटाया जा रहा है। यह समिति कोयला उद्योग हेतु एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति के रूप में कार्य कर रही है जिसमें 5 सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों तथा कोयला कंपनियों अर्थात सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों, सगरेनी कोलियरीज कंपनी लि., टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी एवं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के प्रतिनिधि एनसीडब्ल्यूए–I से एनसीडब्ल्यूए–VI तक थे। एनसीडब्लयू VII से एनसीडब्ल्यूए और एनसीडब्ल्यूए–IX में निजी कोल कंपनियां नामित की गई थी किन्तु उन्होंने भाग लेने से मना कर दिया था/ एनसीडब्ल्यूए–IX में कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों एवं सिंगरेनी कोलियरीज क.लि. के प्रतिनिधियों को नामित किया गया था तथा उन्होंने भाग लिया था। राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए–IX) पर 31 जनवरी, 2012 को हस्ताक्षर किया गया है। एनसीडब्ल्यू –I से एनसीडब्ल्यूए–IX का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन.सी.डबल्यू.ए.)	जिस तारीख को हस्ताक्षर किए गए	समझौते की अवधि		समझौते की समयावधि
		से	तक	
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–I	11.12.1974	1.1.1975	31.12.1978	4 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–II	11.08.1979	1.1.1979	31.12.1982	4 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–III	11.11.1983	1.1.1983	31.12.1986	4 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–IV	27.07.1989	1.1.1987	30.06.1991	4 वर्ष ½ वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–V	19.01.1996	1.7.1991	30.06.1996	5 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–VI	23.12.2000	1.7.1996	30.06.2001	5 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–VII	15.07.2005	1.7.2001	30.06.2006	5 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–VIII	24.01.2009	1.7.2006	30.06.2011	5 वर्ष
एन.सी.डब्ल्यू.ए.–IX	31.01.2012	1.7.2011	30.06.2016	5 वर्ष

एनसीडब्ल्यूए IX की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है :–

i) दिनांक 30.6.2011 को 100 प्रतिशत डीए के निष्प्रभावन के साथ कुल पारिश्रमिक पर 25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम गारंटीशुदा लाभ(एमजीवी)

ii) न्यूनतम मूल वेतन को ₹ 8360 प्रतिमाह (एनसीडब्ल्यूए VIII) से बढ़ाकर एनसीडब्ल्यूए IX में ₹ 15713 प्रतिमाह किया गया।

iii) वार्षिक वेतन वृद्धि प्रगामी आधार पर 3 प्रतिशत की दर से देय होगी।

iv) मौजूदा भत्ते, जिनका भुगतान एनसीडब्ल्यूए VIII में प्रतिशत के रूप में किया जा रहा है, का भुगतान 1.2.2012 से एनसीडब्ल्यूए IX में उसी प्रतिशत में किया जाएगा।

v) मौजूदा भत्ते, जिनका भुगतान एनसीडब्ल्यूए VIII में पूर्ण राशि के रूप में किया जा रहा है, का भुगतान 1.2.2012 से मौजूदा राशि पर 88 प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाएगा।

vi) शहरी क्षेत्र को छोड़कर अर्थात कोलफील्ड् क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता 1.2.2012 से संशोधित मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से ।

vii) संशोधित मूल वेतन का 4 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता लागू किया गया।

10.2.7 सीआईएल की सहायक कंपनियों सहित इसकी कुल जनशक्ति के अनुसार 346638 है। जनशक्ति कंपनी–वार स्थिति नीचे दी गई है:–

कंपनी	2011–12 (31.03.2002 के अनुसार)	2012–13 (31.12.2012 के अनुसार)	2012–13 (31.12.2013 के अनुसार)	2013–14 (31.12.2014 के अनुसार)
ईसीएल	78009	74963	74276	71826
बीसीसीएल	64884	62691	61698	58960
सीसीएल	50026	48668	48126	46686
डब्ल्यूसीएल	56989	55461	54960	52484
एसईसीएल	76078	74311	73718	70910
एमसीएल	22023	22039	22065	22278
एनसीएल	16329	16204	16073	16741
एनईसी	2538	2412	2376	2199
सीएमपीडीआईएल	3129	3098	3142	3135
डीसीसी	562	556	551	512
सीआईएल (मुख्या.)	979	945	941	907
कुल	**371546**	**361348**	**357926**	**346638**

10.2.8 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों में औद्योगिक संबंध का परिदृश्य सौहार्दपूर्ण बना रहा। विभिन्न स्तरों पर कार्यरत ट्रेड यूनियनों के साथ नियमित संरचनाबद्ध बैठकें हुई।

10.2.9 प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी

सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों में बातचीत एवं वेतन तथा सेवा शर्तों, रोजगार, सुरक्षा, शिकायतों, कल्याण आदि के साथ–साथ साझे हित के से संबंधित मामलों का समाधान निकालने के लिए प्रबंधन और 5 सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सुस्थापित द्विपक्षीय मंच हैं। विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित संयुक्त द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं :

1. सीआईएल में जेबीसीसीआई
2. सीआईएल के स्तर पर शीर्ष परामर्शदात्री समिति
3. सीआईएल तथा सहायक कंपनियों के स्तर पर सुरक्षा बोर्ड/सुरक्षा समिति
4. सीआईएल तथा सहायक कंपनी के स्तर पर कल्याण बोर्ड/कल्याण समिति
5. सहायक कंपनी के स्तर पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. सीआईएल तथा सहायक कंपनी स्तर पर औद्योगिक संबंध बैठकें (कार्यरत यूनियनों के साथ संरचनात्मक बैठकें)

हड़तालों और बंदः

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	01.01.2013 से 31.03.2013	01.04.2013 से 31.03.2014
हड़तालों की संख्या	22**	3+3*	शून्य	2 +2*	2+1*	2 +1*	2	1*
मानव दिवस की क्षति	23823	196707	शून्य	246899	1,92,383	140407	1,40,407	15424
उत्पादन में घाटा (टन में)	95477	239983	शून्य	510291	8,10,542	558100	5,58,100	शून्य

*आईएस = औद्योगिक हड़ताल ** बी बी = बांग्ला बंद

10.2.10 कर्मचारी कल्याण योजना

कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कल्याणकारी क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य उसके कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का कल्याण करना है। ये कंपनियां अपने कामगारों के कल्याण पर बहुत अधिक ध्यान दे रही हैं। कोयला खनिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपनत्व की भावना जगाने तथा कार्य में शामिल करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा आवास, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधाओं आदि को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कल्याणकारी उपायों के परिणाम निम्नवत हैं :–

10.2.10.1 आवास

राष्ट्रीयकरण के समय कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों में घटिया आवासों सहित केवल 1,18,366 मकान थे। इन मकानों की उपलब्धता बढ़कर 399,354 (31.03.2014 तक) हो गयी है। आवास की संतोषप्रदता की प्रतिशतता अब 100 प्रतिशत हो गई है।

आवास सुविधाएं

10.2.10.2 जलापूर्ति

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों के क्षेत्रों में 1973 में राष्ट्रीयकरण के समय 2.27 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता था। इस समय 21,17,478 लाख (31.03.2014 तक) की आबादी को कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा जलापूर्ति योजना के अधीन शामिल कर लिया गया है।

10.2.10.3 चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियां कोयला क्षेत्रों के विभिन्न भागों में औषधालय स्तर से लेकर केंद्रीय तथा शीर्षस्थ अस्पतालों तक विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं।

कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए सीआईएल तथा इसकी कंपनियों में 5709 बिस्तरों वाले 79 अस्पताल, 418 औषधालय, 589 रोगी–वाहन, विशेषज्ञों सहित 1445 चिकित्सक हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को स्वदेशी पद्धति की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियों में 11 आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेशेवर स्वास्थ्य और एचआईवी/एआईडीएस जागरूकता कार्यक्रम पर भी विशेष बल दिया गया है।

10.2.10.4 शैक्षिक सुविधाएं

शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, सीआईएल की सहायक कंपनियां कुछ स्कूलों जैसे डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल आदि को वित्तीय सहायता और अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तथा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को भी कभी–कभी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के भाग के रूप में कोयला क्षेत्रों में तथा उसके आस–पास चल रहे कुछ निजी प्रबंधन वाले स्कूलों को भी सहायक कोयला कंपनियां सहायता अनुदान/अवसंरचनात्मक सुविधाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सुविधाओं के भाग के रूप में कोल इंडिया ने कर्मचारियों के आश्रितों को स्कीम के अनुसार निम्न प्रकार की छात्रवृतियां प्रदान की हैं।

(i) कोल इंडिया छात्रवृत्ति योजना (संशोधित – 2013)

प्रवेश कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों के

पुत्रों एवं पुत्रियों का उत्साह बढ़ाने के लिए निम्न प्रकार की दो छात्रवृत्ति नामतः मेरिट और जनरल स्कालरशिप प्रति वर्ष निर्धारित शर्तों पर प्रदान की जा रही हैं:–

मेरिट छात्रवृत्ति :

केवल उन छात्रों के लिए प्रवेश अनुमेय है जिन्होंने किसी भी राज्य के बोर्ड से माध्यमिक/हायर सेकंडरी में पहली से बीसवीं पोजिशन हासिल की हो या जहां मेरिट की घोषणा की गई हो तो आईसीएसई/सीबीएसई/आईएससी (कक्षा 10 और 12) में 95 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

सामान्य छात्रवृत्तिः

कक्षा 5 से आगे स्नातक/परा–स्नातक स्तर तक किसी भी विषय में पढ़ रहे छात्रों के लिए अंकों की निर्धारित प्रतिशतता के अधीन अनुमेय है।

(ii) नकद इनाम तथा प्रशंसा प्रमाणपत्र

कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों के मेधावी आश्रितों को प्रतिवर्ष, जिन्होंने बोर्ड स्तर परीक्षा में दसवीं और बारहवीं कक्षा में कुल 90 प्रतिशत अंक हासिल किए हो, क्रमशः ₹ 5000/ और ₹ 7000/– का नकद इनाम दिया जाता है।

(iii) आई.आई.टी, एन.आई.टी, आई.एस.एम, सरकारी इंजीनियरी और सरकारी मेडिकल कालेजों में अध्ययन करे रहे वेतन बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क और हास्टल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

तकनीकी और मेडिकल शिक्षा की ऊंची लागत को देखते हुए कोल इंडिया लि. वेतन बोर्ड कर्मचारियों के आश्रित बच्चों, जिन्होंने इंजीनियरिंग कालेजों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम, सरकारी मेडीकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश प्राप्त किया है, शैक्षिक सत्र 2009–10 से आगे शुल्क तथा हास्टल प्रभारों के रूप में शिक्षा की लागत को वहन करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(iv) गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के 100 छात्रों तथा भूवंचिती/विस्थापित व्यक्तियों के 25 आश्रितों को आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य चुनिंदा सरकारी इंजीनियरिग कालेजों और केंद्र सरकार के मेडिकल कालेजों (एमबीबीएस कोर्स) में डिग्री कोर्स (स्नातक कोर्स) की पढाई के लिए कोल इंडिया स्कालरशिप का भुगतान।

10.2.10.5 सांविधिक कल्याणकारी उपाय

खान अधिनियम 1952 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियां कोयला खनिकों हेतु कैंटीन, विश्राम गृह और पिट हैड स्नान गृह आदि जैसी अनेक सांविधिक कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

10.2.10.6 गैर–सांविधिक कल्याणकारी उपाय :

को–आपरेटिव स्टोर तथा क्रेडिट सोसायटी : कोलियरियों में सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं तथा उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति करने के उद्देश्य से लिए सीआईएल के कोलफील्ड्स क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी समितियां तथा प्राथमिक सहकारी स्टोर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्य कर रही हैं।

10.2.10.7 बैंकिंग सुविधाएं :

कोयला कंपनियों का प्रबंधन अपने कामगारों के लाभ के लिए कोयला क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और विस्तार काउंटर खोलने के लिए उन्हें अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। श्रमिकों को 485 बैंकों/विस्तार काउन्टरों के माध्यम से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए शिक्षित किया जाता है और उन्हें अपने परिवार के फायदे के लिए किफायत बरतने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

10.2.10.8 कार्यपालकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई)

सीआईएल के निदेशक बोर्ड ने 18.09.2012 को हुई अपनी 289वीं बैठक में 25 अप्रैल, 2008 के सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के कार्यपालकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) में संशोधन / परिवर्द्धन अनुमोदित किए हैं। धारा 6.1 के अनुसार बाह्य रोगी/आवासीय उपचार का भुगतान 01.01.2013 से प्रभावी है।

01.07.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के लिए बाह्य रोगी/आवासीय उपचार का भुगतान पूर्व–संशोधित दरों के अनुसार होगा।

सीपीआरएमएसई के अनुसार अस्पताल में भर्ती (अंतरंग उपचार) के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति को तत्काल से ₹ 25 लाख अथवा ₹ 12.5 लाख जैसा भी मामला हो, बढ़ा दिया गया है। योजना की धारा 3.2.1(घ) में उल्लिखित बीमारियों के लिए कोई सीमा नहीं होगी जिसे ₹ 25 लाख अथवा ₹ 12.5 लाख जैसा भी मामला हो, के प्रति नहीं गिना जाएगा। अब तक 1494 सीपीआरएमएसई कार्ड जारी किए गए हैं।

10.2.10.9 कोल इंडिया लि. की पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

कोल इंडिया की आर एंड आर नीति सर्वप्रथम 1994 में तैयार की गई थी और संशोधन के साथ समय–समय पर प्रचालन में रही है। 2000 से प्रचालित आर एंड आर नीति को 2004 तथा 2008 में फिर संशोधित किया गया है। आर एंड आर नीति को

अधिक उदार बनाने और कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों को अधिक लचीला बनाने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भू–वंचितों को बहु विकल्प देने के उद्देश्य से 13.02.2012 से सीआईएल की संशोधित आर एंड आर नीति, 2012 तैयार की गई है।

इस नीति की कुछ विशेषताएं जो आदिवासी सहित विस्थापित परिवारों को प्रदान की गई हैं, इस प्रकार हैः–

1. संबंधित अधिनियम के प्रावधानों अथवा राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू–वंचितों को भूमि मुआवजा दिया जाता है। भू–वंचितों को मुआवजा तथा बढ़ोतरी संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए अनुसार भुगतान किया जाता है।

2. प्रत्येक दो एकड़ भूमि के बदले भू–वंचितों को रोजगार दिया जाता है। सभी भू–वंचितों जो उपरोक्त के अनुसार रोजगार के लिए पात्र नहीं हैं, वह रोजगार के बदले यथानुपात में भूमि के प्रत्येक एकड़ के बदले 5 लाख रूपए की दर से वित्तीय मुआवजा प्राप्त करने के पात्र है।

3. वैकल्पिक आवास स्थल, डिजाइनिंग में सहायता, स्थानान्तरण भत्ता, पशु शैड का मुआवजा, वर्क शैड के निर्माण के लिए मौद्रिक मुआवजे आदि के बदले, एक बार 3 लाख रूपए का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

4. प्रत्येक प्रभावित परिवार एक वर्ष के लिए 25 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी की दर से गुजारा भत्ते प्राप्त करता है।

5. कोयला कंपनियां परियोजना प्रभावित लोगों को अवसंरचना, छोटे–मोटे ठेकों अथवा सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से गैर–कृषि स्व–रोजगार की स्थापना करने तथा ठेकेदारों के साथ कार्यों के प्रावधानों को प्रोत्साहित करने में सहायता करती हैं। ठेकेदारों को वरीयता आधार पर परियोजना प्रभावित लोगों को काम देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6. जहां तक संभव होता है, कोयला कंपनियां जनजातीय समुदाय को एक यूनिट के रूप में स्थानांतरित करती हैं और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि वे अपनी अद्वितीय पहचान कायम करने की अनुमति दें।

7. रूढ़ीवादी अधिकार की हानि अथवा वन उत्पादों के उपयोग की हानि के लिए प्रभावित जनजातीय परिवारों को 500 दिनों की एक बार की वित्तीय सहायता दी जाती है।

8. जिले से बाहर बसे प्रभावित जनजातीय परिवारों को 25 प्रतिशत अधिक पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्थल, स्कूल, स्ट्रीट लाईट

के साथ सड़क, पक्का नाला, तालाब खुदा हुआ कुंआ तथा/अथवा पेय जल के लिए ट्यूबर कुंआ, सामाजिक केंद्र, पूजा का स्थान, डिस्पेंसरी, जानवरों के लिए चारागाह और खेल का मैदान दिया जाएगा।

9. परियोजना प्रभावित परिवारों तथा मेजबान जनसंख्या सहित पुनर्वास कालोनियों के सभी निवासियों को सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

10. सामुदायिक सुविधाओं के प्रचालन का दृष्टिकोण नमनीय है और इन सुविधाओं के प्रचालन के लिए राज्य एवं स्थानीय स्व–शासन/पंचायत को शामिल करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। प्रभावित समुदाय के परामर्श से सामुदायिक सुविधाओं की आयोजना तथा उनका निर्माण किया जाता है।

10.3. नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.(एनएलसी) को 14 नवम्बर, 1956 में कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 20 मई, 1957 को खान –1 में खनन प्रचालनों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को अप्रैल, 2011 से 'नवरत्न 'का दर्जा प्रदान किया गया है।

एनएलसी इस समय चार ओपन कास्ट लिग्नाइट खान अर्थात तमिलनाडु राज्य में खान–I, खान Iए, तथा खान II, और राजस्थान राज्य में बरसिंगसर खान जिनकी कुल क्षमता 30.6 एमटीपीए है और 2740 मे.वा. क्षमता के चार तापीय विद्युत स्टेशन नामतः तमिलनाडु में टीपीएस–I एवं टीपीएस–I विस्तार तथा टीपीएस–II और राजस्थान राज्य में बरसिंगसर टीपीएस है।

नेयवेली में टीपीए–II (500 में.वा.) विस्तार तथा कोयला आधारित एनटीपीएल (1000 मे.वा.) एक संयुक्त उद्यम परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

एनएलसी की सभी खानों और विद्युत स्टेशनों को गुणवता प्रबंधन पद्धति, पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन पद्धति के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिलें हैं।

10.3.1 प्राधिकृत पूंजी :

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी ₹ 2000 करोड़ तथा प्रदत्त इक्विटी ₹ 1677.71 करोड़ है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नवत् है :

(₹ करोड़ में)

इक्विटी	(भारत सरकार का भाग) : 1509.94
भारत सरकार से ऋण	(उपार्जित ब्याज सहित) शून्य

10.3.2 उत्पादन कार्य – निष्पादन

जनवरी, 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान ओवर बर्डन को हटाने, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन तथा इसके निर्यात को नीचे दर्शाया गया है :–

उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2013–14	जनवरी, 2013 से मार्च, 2014	
			लक्ष्य	वास्तविक
ओवरबर्डन	एमएम3	155.00	197.39	216.05
लिग्नाइट	एमटी	25.20	32.15	34.32
विद्युत सकल	एमयू	18929.00	24272	25566.61
विद्युत निर्यात	एमयू	15742.00	20194	21709.83

10.3.3 उत्पादकता

जनवरी, 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान उत्पादकता निष्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :–

(क). उत्पादन प्रति श्रमपाली (ओएमएस)

यूनिट		जनवरी, 2013 से मार्च, 2014	
		लक्ष्य	वास्तविक
खान	टन	10.29	13.03
थर्मल	किवा./घंटा	17543	22671

(ख) संयंत्र लोड फैक्टर

जनवरी, 2013 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान टीपीएस–1, टीपीएस–1 विस्तार तथा टीपीएस – 2 द्वारा प्राप्त किया गया प्लांट लोड फैक्टर इस प्रकार है:–

यूनिट	2013–14, जनवरी, 2013 से मार्च, 2014)	
	लक्ष्य	वास्तविक
टीपीएस–I	73.52	77.12
टीपीएस–I विस्तार	82.20	91.70
टीपीएस–II	76.71	85.69
बरसिंगसर टीपीएस	71.76	67.35

10.3.4 वित्तीय कार्य – निष्पादन

एनएलसी वर्ष 1976–77 से लाभ में रही है। 2012–13 की अवधि के दौरान अर्जित ₹ 2047.65 करोड़ की तुलना में 2013–14 के दौरान ₹ 2209.13 करोड़ का कर पूर्व लाभ अर्जित किया। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार भंडार तथा अतिरिक्त ₹ करोड़ 12225.91 था। 2012–13 के दौरान ₹ 5590.07 करोड़ की तुलना में 2013–14 में बिक्री टर्न ओवर ₹ 5967.23 करोड़ था।

जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान उत्पादन–वार बिक्री निम्नानुसार है:–

उत्पाद	बिक्री (₹ करोड़ में)	
	लक्ष्य	वास्तविक
लिग्नाइट	555.81	744.42
विद्युत	6104.46	6865.77
अन्य	18.29	26.36
उत्पाद शुल्क कम करके	8.39	**15.97**
शुद्ध बिक्री	**6670.18**	**7620.58**

10.3.5 जनशक्ति

31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार एनएलसी की कुल जनशक्ति नीचे दी गई है:

श्रेणी	तकनीकी	गैर–तकनीकी	कुल
कार्यपालक	3514	812	4326
गैर–कार्यपालक	4404	3515	7919
कामगार	431	4173	4604
कुल	**8371**	**8546**	**16849**

10.3.6 औद्योगिक संबंध

अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर सुव्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण रहे। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान हड़ताल / अशान्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए है:–

(क) एनएलसी के 5 प्रतिशत के प्रस्तावित विनिवेश के विरूद्ध विरोध करते हुए दो मान्यताप्राप्त यूनियनों सहित मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों और पर्यवेक्षकों, इंजीनियरों एवं अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने पत्र दिए जिसमें भारत सरकार द्वारा विनिवेश को वापस लेने तक अनिश्चित हड़ताल पर जाने / 03/07/2013 से सीधी कार्रवाई जाने की सूचना दी। 28.06.2013 से यूनियनों और संघों ने गेट पर बैठक करने, एक दिन की भूख हड़ताल आदि जैसे आन्दोलनों के विभिन्न प्रकारों का सहारा लिया।

(ख) इस मामले को सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीत) पूडुचेरी ने संज्ञान में लिया था और विभिन्न अवसरों पर मेल–मिलाप की कार्रवाईयां हुई।

(ग) प्रबंधन ने मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हड़ताल के विरूद्ध निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की जिसे मद्रास उच्च न्यायालय की पहली बैंच ने स्वीकार कर लिया और 3.7.2013/4.7.2013 से अनिश्चित हड़ताल पर 17

यूनियनों के जाने अथवा उसके बाद किसी भी दिन समझौता अधिकारी के समक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हड़ताल पर जाने पर रोक लगाने की अंतरिम निषेधाज्ञा 3.7.2013 को लगा दी।

(घ) तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में ट्रेड यूनियनों ने 3.7.2013 को 22.00 बजे से अनिश्चित हड़ताल की। ठेकेदार नियोजकों द्वारा नियोजित किए गए ठेका कामगारों तथा इन्डकोसर्व सोसाइटी ने भी हड़ताल में भाग लिया।

(ड.) 15.07.2013 को लगभग सायं 05.50 बजे सेबी तथा तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 15.07.2013 को बैठक के बाद यूनियनों ने तत्काल हड़ताल वापस लेने की घोषणा की उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपील की। हड़ताल करने वाले सभी कर्मचारी उसी समय ड्यूटी पर आ गए और सभी क्रियाकलाप सामान्य हो गए।

(च) ठेके पर कार्यरत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनें बार–बार वरिष्ठता सूची के अनुसार ठेका कामगारों को नियमित करने संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तदनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाईयां की जा रही हैं।

इसी बीच 4219 ठेका कामगारों को एनएलसी इंडकोसर्व सोसाइटी में 03.06.2013 को नामावली में ले लिया गया है तथा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली के समक्ष 16.06.2008 को हुए सुलहनामा 12(3) के अनुसार 01/09/2013 से एनएलसी की विभिन्न यूनिटों में उन्हें तैनात किया गया था।

मार्च, 2014 के दौरान औद्योगिक संबंध निर्बाध तथा सौहार्दपूर्ण हैं। तथापि, मान्यता प्राप्त यूनियनों ने 17 मार्च, 2014 की रात्रि पाली से 18 मार्च, 2014 की द्वितीय पाली तक (एक दिन की हड़ताल) नकली हड़ताल आह्वान किया था जिसमें खान–II के प्रवेश पर 17 मार्च, 2014 को शूटिंग घटना की निंदा की जिसमें एक व्यक्ति को सीआईएसएफ के कार्मिकों द्वारा गोली मार दी गई थी। कार्यपालक और पर्यवेक्षक ड्यूटी पर आ गए। अप्रिय घटनाओं से बचने और सभी यूनिटों में सामान्य उत्पादन बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय किए गए थे।

10.3.7 कर्मचारियों का कल्याण

कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शीर्षों के तहत कल्याणकारी उपाय किए गए है:–

- कर्मचारियों को 100 प्रतिशत मकान ;
- सब्सिडाइज्ड कैन्टीन सुविधाएं तथा वर्दी/जूते;
- स्कूली छात्रों के लिए मेरिट छात्रवृत्तियां;

- अ.जा./अ.ज.जाति छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां;
- सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना;
- उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए विशेष वेतनवृद्धि;
- लम्बी सेवा पुरस्कार;
- विवाह और अधिवर्षिता उपहार;
- कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार;
- सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ योजना;
- मृत्यु राहत योजना।

10.3.8 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. की पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

अपनायी पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति (आरएपी) के कार्यान्वयन को समाप्त कर उसके स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31.10.07 को प्रकाशित तथा तमिलनाडु सरकार के निदेशानुसार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 (एनआरआरपी 2007) प्रतिस्थापित कर दी गई है।

तदनुसार, एनएलसी प्रभावित व्यक्तियों पर दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने के उद्देश्य से और परियोजना से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति, 2007 को कतिपय बढ़ोतरी के साथ अनुपालन कर रही है। पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास उपायों का कार्यान्वयन पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास प्रशासक के निदेशानुसार किया जा रहा है। एनएलसी क्षेत्र के सतत विकास की एक विशिष्ट योजना के माध्यम से परिधीय गांवों में पूंजीगत कार्यों को भी करती है।

10.3.9 भावी योजनाएं

एनएलसी ने एक प्रमुख लिग्नाइट खनन तथा विद्युत कंपनी के अपने प्रयास में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं :

1. बिथनोक खान के साथ (2.25 मि.ट. प्रति वर्ष) बिथनोक लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन (1 X 250 मे.वा.)।
2. 2.5 मि.ट. प्रतिवर्ष हदला और पलना लिग्नाइट खानों के साथ बरसिंगसर तापीय विद्युत स्टेशन विस्तार (1 x 250 मे.वा.)।
3. एनएलसी तथा यूपीआरवीयूनएनएल द्वारा उत्तर प्रदेश में संयुक्त उद्यम कोयला आधारित घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन (3 X 660 मे.वा.)।
4. तमिलनाडु में तटीय 'सरकली थर्मल पावर परियोजना'' (4000 मे.वा.)
5. नेयवेली 10 मे.वा. सौर विद्युत परियोजना।
6. देवनगुडी लिग्नाइट खान परियोजना (2.0 एमटीपीए, नेयवेली क्षेत्र)

7. तालाबीरा–II तथा III (कोयला खान (20 एमटीपीए) एमसीएल तथा हिंडाल्को (एमएनएच शक्ति) के साथ संयुक्त उद्यम–एमएनएच

8. बरसिंगसर, राजस्थान में 10 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र।

10.4 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

10.4.1 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. आंध्र प्रदेश सरकार का एक उद्यम है जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार की क्रमश 51:49 के अनुपात में इक्विटी पूंजी धारिता है।

10.4.2 कोयला उत्पादनः

(आकंड़े मिलियन टन में)

लक्ष्य 2013–14	वास्तविक उत्पादन
50.30	50.47

10.4.3 उत्पादकता :

2012–13 की इसी अवधि के दौरान 3.63 टन की प्रति श्रमपाली की तुलना में 2013–14 (अप्रैल 13 से दिस.13) के दौरान प्रति श्रमपाली उत्पादन 3.51 टन (अनंतिम) है।

	2013–2014 (दिसं.13 तक)	2012–13 (दिसं 12 तक)
प्रति श्रमपाली उत्पाद टन	3.51	3.63

10.4.4 जनशक्तिः 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल की नामावली में 2092 महिला कर्मचारियों सहित 62420 कर्मचारी हैं।

10.4.5. कर्मचारियों का कल्याण :

एससीसीएल अपने कर्मचारियों को विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, रिहायशी आवास, कामगारों के बच्चों को शिक्षा, जलापूर्ति, सड़कों के निर्माण, सूचना सेल के माध्यम से कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार लाने, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अलावा मनोरंजन की व्यवस्था के लिए खेल–कूद के क्षेत्रों में कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए भरसक उपाय कर रही है।

एससीसीएल ने 2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान कल्याणकारी कार्यों के लिए 38237 लाख रू.(अनंतिम) खर्च किए हैं।

10.4.6 औद्योगिक संबंध :

वर्ष 2013–14 के लिए एससीसीएल में औद्योगिक संबंध का परिदृश्य तथाकथित तेलंगाना राज्य के गठन के प्रस्ताव के विरूद्ध मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा दिए गए बंद आइवान के प्रत्युत्तर में 05.12.2013 को एक दिन की हड़ताल की है। इसका उत्पादन पर आंशिक प्रभाव पड़ा। प्रबंधन ने स्पष्ट औद्योगिक संबंध नीति निर्धारित की है जिसमें कंपनी स्तर और क्षेत्र स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ तथा क्षेत्र स्तर पर प्रतिनिधि स्टेटस यूनियन के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तंत्र की व्यवस्था की गई है।

वर्षों से सुधारों को लागू करके श्रमिक तथा प्रबंधन के बीच सुव्यस्थित सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रखे गए जिसके परिणामस्वरूप लागतो में कमी लाने, उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने और जीवन की कोटि गुणवता सुधार लाने में योगदान मिला।

इन सभी उपायों से हड़तालों की संख्या में कमी करने में योगदान दिया है जैसा कि निम्नलिखित ब्यौरों से देखा जा सकता है :–

क्र.स.	वर्ष	हड़तालों की सं	श्रमदिवस कर हानि	उत्पादन की हानि (टन)
1	2006-07	03	5,587	9,872
2	2007-08	शून्य	शून्य	शून्य
3	2008-09	02	23,065	19,072
4	2009-10	02	1,430	4,893
5	2010-11	02	1,68,760	4,22,984
6	2011-12	05	16,28,931	40,11,353
7	2012-13	2	93418	128519
8	01.01.2013 से 31.03.2013	1	92973	128077
9	01.04.2013 से 31.03.2014	1	37504	79752